बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञाप संख्या–02/रेगु०–03–900–13/2021 508/ ले पटना, दिनांक– 28 अप्रैल, 2025

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय : **बिहार राज्य चीनी निगम लि० की इकाई, सकरी एवं रैयाम की परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन हेतु वित्तीय सलाहकार, एस. बी.आई. कैप्स (SBI Caps) कोलकाता की नियुक्ति एवं इस कार्य पर होने वाले कुल व्यय मो० 30,00,000.00 (तीस लाख) रू० एवं अतिरिक्त जी.एस.टी. (GST) के भुगतान की स्वीकृति।**

महाशय,

बिहार राज्य चीनी निगम लि० की इकाई सकरी एवं रैयाम के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् निजी निवेशकों के माध्यम से गन्ना आधारित उद्योग के रूप में पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार राज्य चीनी निगम लि० की इकाई, सकरी एवं रैयाम की परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन हेतु " **वित्तीय सलाहकार, एस. बी.आई. कैप्स (SBI Caps) कोलकाता**" की नियुक्ति एवं इस कार्य पर होने वाले कुल व्यय मो० 30,00,000.00 (तीस लाख) रू० एवं अतिरिक्त जी.एस.टी. (GST) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में दिनांक–22.01.2007 को लिए गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–221 दिनांक–02.02.2007 से सरकार को मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित करने एवं उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सलाह एवं सहयोग देने हेतु SBI Caps, कोलकाता को वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया।

3. उक्त के क्रम में दो इकाइयों यथा सकरी एवं रैयाम के परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन हेतु योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से वित्त विभाग, बिहार, पटना से परामर्श प्राप्त हुआ है कि प्रशासी विभाग सक्षम प्राधिकार है, तदनुसार इस योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. इस योजना का व्यय निम्न milestone के तहत् की जायेगी।

Sl. No.	Milestone	Payable Terms
01.	Inception fee upon award of the mandate	Rs.10.00 lacs plus applicable GST
02.	Submission of Draft Report – Sakari and Raiyam Unit	Rs.10.00 lacs plus applicable GST
03.	Submission of Final Report – Sakari and Raiyam Unit	Rs.10.00 lacs plus applicable GST

5. उक्त राशि मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, समूहशीर्ष–राज्य योजना, लघुशीर्ष–201–चीनी, उपशीर्ष–0103, विषयशीर्ष–3301–सब्सिडी, विपत्र कोड–45-2852082010103 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में सामान्य श्रेणी अन्तर्गत उपबंधित राशि मो० .मो० 7897.85 (अठहत्तर करोड़ सनतानवे लाख पचासी हजार) लाख रूपये में से विकलनीय होगी।

6. उक्त राशि की निकासी विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा **वित्तीय सलाहकार, एस. बी.आई. कैप्स (SBI Caps)** कोलकाता को उनके बैंक खाते SBI A/c No. 10972430411 IFSC No. SBIN0004791 में Electronic transfer/CFMS के माध्यम से सीधे अन्तरण द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

28/4/2025

कृ०पृ०उ०

Swikirtyadesh-4

7. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. यह योजना वित्त विभाग के पत्रांक–12888 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है। वित्त विभाग के पत्रांक–2561 (वि०) 2 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या–02/रेगु.–03–900–13/2021 के पृष्ठ–125/टि० पर दिनांक–25.04.2025 को प्राप्त है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–02/रेगु.–03–900–13/2021 के पृष्ठ–119/टि० पर दिनांक–04.04.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

28/5/2025

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–02/रेगु०–03–900–13/2021 50 ईखा०/ce पटना, दिनांक– 28 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/उपाध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार, एस. बी.आई. कैप्स (SBI Caps), कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/5/2025
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–02/रेगु०–03–900–13/2021 50 ईखा०/ce पटना, दिनांक– 28 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि– विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा/लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/5/2025
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–02/रेगु०–03–900–13/2021 50 ईखा०/ce पटना, दिनांक– 28 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

28/5/2025
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–02/रेगु०–03–900–13/2021 50 ईखा०/ce पटना, दिनांक– 28 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि–आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

28/5/2025
ईखायुक्त, बिहार।